



# कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

## आदेश

क्रमांक 39 /जि.पं./स्था./मुमपंसयो/2017

राजनांदगांव दिनांक 03/04/2017

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक/पंचाविदि/22/492ए/2016/2327 नया रायपुर दिनांक 04/07/2016 अनुसार पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ के अधीन मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना (CMPSY) अंतर्गत जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र (BPRC) के लिए स्वीकृत संविदा/कलेक्टर दर पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थियों को 31/03/2018 तक के लिए संविदा नियुक्ति की जाती है:-

क्रं.	उम्मीदवार का नाम	पिता/पति का नाम	पता	पदस्थापना स्थल	चयनित वर्ग
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमति ज्योति कठाने	श्री विजय कठाने	कमला कालेज रोड, कौरिन भाठा, वार्ड नं. 45, हाऊसिंग कालोनी राजनांदगांव	जनपद पंचायत, डोंगरगढ़	अनारक्षित (महिला)
2	श्रीमती पूनम साहू	श्री कृष्ण कुमार साहू	C/O रामसिंग ठाकुर (पुलिस), कलीन्दर चाल, तुलसीपुर, ममतानगर, राजनांदगांव	जनपद पंचायत, खैरागढ़	अनारक्षित (महिला)
3	मोनिका ठाकुर	श्याम सुंदर ठाकुर	स्टेशन पारा वार्ड नं. 12 ओवर ब्रिज के नीचे पानी टंकी के पास राजनांदगांव	जनपद पंचायत, छुरिया	अनारक्षित (मुक्त)
4	गोविंद प्रसाद जांगडे	श्री संतुराम जांगडे	ग्राम अरसनारा, पो नेढकढ्ढी, वार्ड नं. 11, जिला दुर्ग	जनपद पंचायत, छुईखदान	अनुसूचित जाति


### नियम एवं शर्तें :-

- संविदा पर 8470.00 रुपये एकजाई पारिश्रमिक की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृहभाडा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा और ना ही संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
- यह संविदा नियुक्ति दिनांक 31/03/2018 तक होगी।
- यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थाई है।
- संविदा अवधि के कैलेण्डर वर्ष में कुल 18 दिनों का अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
- संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जायेगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।
- संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।




## कार्यालय जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

8. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
9. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके।
10. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क./एफ-9-1/2012/1-3, दिनांक 17.01.2013 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 40 / जि.पं./स्था./मुमपंसयो/2016-17 राजनांदगांव दिनांक 42/2016-03/04/17  
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्यसचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त-सह-संचालक, पंचायत संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, राजनांदगांव को सूचनार्थ प्रेषित।
5. कार्यालयीन मु.मं.पं.स.योजना शाखा/स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सर्व संबंधित ..... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। आप अपनी उपस्थिति दिनांक 12/04/2017 तक जिला पंचायत राजनांदगांव में अनिवार्य रूप से देवें अन्यथा आपकी संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)